अपील संख्या 72/2017 एल आर एक्ट
अनवान मु. नाथी उर्फ मु. रूकमा बनाम मु. रामप्यारी वगैरह

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
10–12–2019	अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित । रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक श्री विजय कुमार पारीक उपस्थित। इस न्यायालय में यह अपील अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा दिनांक 07.12.2005 को अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 17.11.2005 के विरूद्व पेश की गई । अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर सम्मन जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। इसके बाद अभिभाषक अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के निमित सही पता अंकित कर रजिस्ट्र्ड एडी सम्मन पेश करने हेतु बार बार पाबन्द किया गया। अभिभाषक अपीलान्ट को लगातार पाबन्द किये जाने के बावजूद भी आज तक पेश नही किये है। पत्रावली वर्ष 2005 से विचाराधीन चल रही है। अपीलांट एवं अभिभाषक अपीलांट जो स्वय न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में आकर अपील प्रस्तुत की लेकिन बाद मे स्वय न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश के अभाव को सिद्व करती है व स्वेच्छा से मामला चलाने मे अरूचि जाहिर करती है। न्याय की वांछा करने वाले पक्षकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उन व्यक्तियो के नाम पते व जानकारी न्यायालय को दे जिनके विरूद्व वह उपचार चाहता हे। इस प्रकार अभिभाषक अपीलांट को बार–बार पाबन्द करने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नही करने के कारण यह पत्रावली अदम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.12.18 13:30:50 IST
Reason: SelfAttested